

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 102/2013 वाद पत्र

उनवान

1. श्रीमति मोहनी देवी पत्नि नारायणलाल गाडरी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. श्रीमति मंजु पत्नि कन्हैयालाल माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमति सुशीला पुत्री मांगीलाल खटीक निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमति बदाम बेवा मांगीलाल खटीक निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुरेश पिता हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोपाल पिता हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मीरा पुत्री हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. चन्द्री बेवा हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बैंक मैनेजर बैंक आफ बडौदा शाखा आशाहोली जरिऐ शाखा प्रबन्धक
10. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. मुकेश चौधरी -

अधिवक्ता वादी

निर्णय


दिनांक 15.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र नारायणखेडा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर में स्थित राजस्व खाता संख्या 192 में वर्णित आराजी संख्या 538 रकबा 0.23 है0, कुल किता 01 रकबा 0.23 है0, स्थित है का मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन करवा वादीया के 55/72 हिस्से का पृथक से खाता खुलाकर लगान का अलग से दर्ज कराया जावे एवं कब्जा भी पृथक से दिलाया जाने कि प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 15.05.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया

जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना
प्रतीत होता है। अतः


आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर में स्थित आराजी संख्या 538/1 रकबा 0.1650 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1650 मोहनी देवी पत्नी नारायण लाल गाडरी सा0 देह, आराजी संख्या 538/2 रकबा 0.0650 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0650 है0 सुशीला पुत्री मांगीलाल, बदामी बेवा मांगीलाल 128/650 खटीक, नारायण, गोपाल पिता हीरा, चन्द्री बेवा हीरा 192/650 तेली, मंजु पत्नी कन्हैयालाल 330/650 माली बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।


साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाव्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
सैदातीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 102/2013 वाद पत्र

उनवान

1. श्रीमति मोहनी देवी पत्नि नारायणलाल गाडरी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. श्रीमति मंजु पत्नि कन्हैयालाल माली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमति सुशीला पुत्री मांगीलाल खटीक निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमति बदाम बेवा मांगीलाल खटीक निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुरेश पिता हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोपाल पिता हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मीरा पुत्री हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. चन्द्री बेवा हीरालाल तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बैंक मैनेजर बैंक आफ बडौदा शाखा आशाहोली जरिऐ शाखा प्रबन्धक
10. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर

प्रतिवादीगण


वाद पत्र अंतर्गत धारा, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर में स्थित आराजी संख्या 538/1 रकबा 0.1650 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1650 मोहनी देवी पत्नी नारायण लाल गाडरी सा० देह, आराजी संख्या 538/2 रकबा 0.0650 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0650 है० सुशीला पुत्री मांगीलाल, बदामी बेवा मांगीलाल 128/650 खटीक, नारायण, गोपाल पिता हीरा, चन्द्री बेवा हीरा 192/650 तेली, मंजु पत्नी कन्हैयालाल 330/650 माली बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।


साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 15.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा